राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः NRHM/RCH-II/JSY/08/ 290 दिनांकः 18.6.2008

समस्त प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषयः–जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत परिवहन खर्च उपलब्ध कराने बाबत्।

भारत सरकार द्वारा राज्य को अवगत कराया गया है कि आशा सहयोगिनियों के माध्यम से संस्थागत प्रसव बढाने की आवश्यकता है। इस हेतु परिवहन खर्च आशा सहयोगिनियों के माध्यम से ही लागु किया जाये। उपरोक्त सुझाव के अनुसार दिनांक 15.05.08 एवं 13.06.08 को राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति (Executive Committee) की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निदेशक (आर.सी.एच.) के पत्र कमांक F.21/NRHM/JSY/954 दिनांक 23.04.07 के द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत देय यातायात खर्च प्रसूता को दिये जाने के आदेश अधिकमण करते हुए भविष्य में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसवोपरान्त प्रोत्साहन राशि एवं आशा–सहयोगिनियों को परिवहन एवं प्रेरक राशि प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार संशोधित निर्देश जारी किये जाते हैः–

- संस्थागत प्रसव होने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को प्रसवोपरांत 1400/– रूपये की राशि एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000/– रूपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में संस्था प्रभारी द्वारा चैक से प्रसूता को डिस्चार्ज से पूर्व दी जावे।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कार्यरत आशा–सहयोगिनी अपने क्षेत्र में गर्भधारण करने वाली सभी महिलाओं की प्रसव पूर्व जॉच हेतु सम्बन्धित प्रसाविका के यहॉ 12 सप्ताह के अन्दर ए.एन.सी. रजिस्ट्रेशन करायेगी तथा गर्भावस्था के दौरान तीन बार प्रसूता की जॉच कराकर टी.टी. के टीके लगवायेगी, आयरन की 100 गोलियॉ खाने के लिये प्रेरित करेगी एवं उचित पोषाहार की सलाह देगी।
- आशा–सहयोगिनियां अपने क्षेत्र की बी.पी.एल. परिवार की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव से 8–12 सप्ताह पूर्व 500/– रूपये की राशि सम्बन्धित प्रसाविका अथवा नजदीक के संस्था प्रभारी से चैक द्वारा दिलवाकर ए.एन.सी. कार्ड में इन्द्राज करवायेगी।
- ग्रामीण क्षेत्र में आशा–सहयोगिनी प्रसव के समय अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को परिवहन सुविधा अपने स्तर से उपलब्ध कराकर नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव हेतु साथ लेकर जाएगी। प्रसवोपरान्त आशा–सहयोगिनी को 300/– रूपये की परिवहन राशि एवं 100/– रूपये की प्रेरक राशि, कुल 400/– रूपये की राशि एवं शहरी क्षेत्र में आशा सहयोगिनी के प्रसूता के साथ आने पर प्रसवोपरान्त

18/6/08

100/– की राशि प्रेरक के रूप में संस्था प्रभारी द्वारा चैक से प्रदान की जायेगी। आशा सहयोगिनी को उक्त राशि प्रसूता का ए.एन.सी.कार्ड, तीन बार प्रसव पूर्व जांच, टी.टी.के टीके एवं आयरन की 100 गोलियां उपलब्ध कराने के पश्चात ही दिये जायेगें।

- सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु संस्था पर ए.एन.सी. कार्ड उपलब्ध कराने पर जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा सकेगा। बी.पी.एल. परिवार की महिला को प्रसव पूर्व दी गई 500/– रूपये की राशि कम कर भुगतान किया जावेगा। ए.एन. सी. कार्ड के अभाव में प्रसूता को ग्रामीण क्षेत्र में 900/– रूपये की राशि एवं शहरी क्षेत्र में 500/– रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। शेष 500/– रूपये की राशि का भुगतान ए.एन.सी. कार्ड उपलब्ध कराने पर दिया जायेगा। ए.एन.सी. कार्ड के अभाव में आशा–सहयोगिनी को किसी प्रकार की परिवहन एवं प्रेरक राशि प्रदान नही की जायेगी।
- आशा सहयोगिनी प्रसवोपरान्त माता की देखभाल करेगी, नवजात शिशु को 1 घण्टे के अंदर माता का दूध पिलाने के लिए प्रेरित करेगी, शिशु को 6 माह तक माता का दूध पिलाने की सलाह देगी एवं नवजात शिशु को टीके लगवाने में सहयोग करेगी। नवजात शिशु को डी.पी.टी. के तीन टीके लगवाने के पश्चात ही आशा–सहयोगिनी शेष 100/– रूपये की प्रेरक राशि सम्बन्धित प्रसादिका अथवा नजदीक के चिकित्सा संस्था प्रभारी से चैक द्वारा प्राप्त कर सकेगी।

उक्त आदेश समस्त राज्य में दिनांक 1 जुलाई 2008 से प्रभावी होंगे।

18/6/08

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: **NRHM/RCH-II/JSY/08/** 290 दिनांक: 18.6.2008

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. मंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
5. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6. निजी सचिव, शासन सचिव (प.क.) एवं मिशन निदेशक–एनआरएचएम,
7. निजी सचिव, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
8. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
9. निजी सहायक, निदेशक, आर.सी.एच/जन स्वास्थ्य/एड्स/आई.ई.सी., मुख्यालय

10. अतिरिक्त निदेशक, राजपत्रित /अराजपत्रित /आरसीएच /एन.आर.एच.एम. /ग्रामीण स्वास्थ्य/चिकित्सा प्रशासन, मुख्यालय, जयपुर
11. संयुक्त निदेशक (आरसीएच), मुख्यालय
12. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
13. प्रभारी, सर्वर रूम,/डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर ।
14. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिलें।
15. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, समस्त जिलें।
16. अतिरिक्त/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) एवं स्वास्थ्य, समस्त जिलें।
17. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
18. समस्त गैर सरकारी संगठन।

18/8/08

निदेशक (आर.सी.एच.)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवायें
राजस्थान, जयपुर